राजस्थान राज्य

बनाम

जगराज सिंह उर्फ **हंसा**

29 जून, 2016

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति अशोक भूषण

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 42(1) और 42(2) – तलाशी और अभिग्रहण – थाना अधिकारी द्वारा गुप्त इत्तिला प्राप्त होने पर उसे लेखबद्ध किया जाना – इत्तिला की प्रति अपने अव्यवहित ज्येष्ठ अधिकारी को भेजा जाना – थाना अधिकारी द्वारा इत्तिला की जो प्रति सर्किल आफिसर को भेजी गई थी, वह उसके द्वारा लेखबद्ध इत्तिला के अनुसार नहीं थी, अतः, उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई गलती नहीं की है कि धारा 42(2) का भंग हुआ था, इसलिए अभियुक्त की दोषमुक्ति उचित है ।

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 – धारा 42(2) का परंतुक – वारंट के बिना सूर्यास्त के पश्चात् तलाशी – थाना अधिकारी द्वारा गुप्त इत्तिला प्राप्त होने पर तलाशी लेने के लिए अग्रसर होने से पूर्व धारा 42 की उपधारा (1) के परंतुक या धारा 42 की उपधारा (2) द्वारा यथापरिकल्पित विश्वास का कोई आधार लेखबद्ध न किए जाने के कारण धारा 42(2) के परंतुक का अतिक्रमण हुआ था क्योंकि तलाशी सूर्यास्त के पश्चात् ली गई थी, अतः उच्च न्यायालय द्वारा की गई अभियुक्त की दोषमुक्ति उचित है ।

मामले के तथ्यों के अनुसार, थाना अधिकारी, भद्रा, हनुमानगढ़, राजस्थान को तारीख 9 अगस्त, 1998 को रात्रि के 8.00 बजे एक गुप्त इत्तिला प्राप्त हुई कि अफीम लिए हुए एक जीप सिरसा होते हुए हरियाणा से गुजरेगी । उपरोक्त इत्तिला के संबंध में एक मेमो बनाया गया जिसकी रोजनामचा में प्रविष्टि भी की गई और उसी दिन 8.05 बजे अपराह्न में एक कांस्टेबल के माध्यम से यह इत्तिला सर्किल आफिसर को भी भेजी गई । थाना अधिकारी कतिपय अन्य पुलिस कार्मिकों और दो स्वतंत्र साक्षियों को लेकर रवाना हुआ । रात्रि में 10.15 बजे जीप आती हुई

दिखाई दी जिसमें एक ड्राइवर और दो अन्य व्यक्ति बैठे हुए थे जिन्होंने अपना नाम जगराज सिंह और किशन लाल बताया । जीप में थैले पड़े हुए थे । थाना अधिकारी ने जगराज और कृष्ण लाल को नोटिस दिया और उसके पश्चात् तलाशी ली गई । जीप से अफीम पाउडर भरे हुए नौ थैले बरामद किए गए, जिनके लिए अभियुक्तों के पास कोई लाइसेंस नहीं था । अफीम पाउडर का वजन किया गया और प्रत्येक थैले से 200-200 ग्राम के दो-दो नमूने लिए गए । घटनास्थल पर अभिग्रहण मेमो बनाया गया । दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । सामग्री मुहरबंद की गई और पुलिस थाने पहुंचने के पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । नमूने न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए और सकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/15 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश के समक्ष अभियुक्तों ने यह दलील दी कि अधिनियम की धारा 42(1) और 42(2) तथा धारा 50 के आज्ञापक उपबंधों का पालन नहीं किया गया है ; दोनों स्वतंत्र साक्षियों ने बरामदगी के स्थान का समर्थन नहीं किया है और संपूर्ण कार्रवाई पुलिस थाने में की गई थी ; घटना की शृंखला मौजूद नहीं है और परीक्षण रिपोर्ट ग्राह्य और पढ़ने योग्य नहीं है । अभियुक्तों की दलीलों का विद्वान् विशेष लोक अभियोजक द्वारा खंडन किया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि थाना अधिकारी द्वारा प्राप्त इत्तिला को लेखबद्ध किया गया था और इसे सर्किल आफिसर को भेजा गया था । इसलिए थाना अधिकारी ने अधिनियम की धारा 42(1) और 42(2) के उपबंधों का पूर्णतः अनुपालन किया था । सेशन न्यायाधीश ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि यान यात्रियों को परिवहन करने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा था, इसलिए यान स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 43 के स्पष्टीकरण के अनुसार लोक स्थल की परिधि के अंतर्गत आता था । अतः तलाशी लेने के लिए किसी वारंट या प्राधिकार की कोई आवश्यकता नहीं थी । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने पूर्वोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश के निर्णय और आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा दोनों दांडिक अपीलें मंजूर करते हुए निम्नलिखित कारण और निष्कर्ष दिए : (i) गुप्त इत्तिला जो प्रदर्श पी-14 के रूप में और प्रदर्श पी-21 रोजनामचा में लेखबद्ध की गई थी, उसमें यह

उल्लिखित नहीं था कि "दो व्यक्ति झुंझुन से आएंगे जो अफीम पाउडर लिए हुए हैं', जबकि सर्किल आफिसर, नोहर को भेजी गई इत्तिला (प्रदर्श पी-15) में उपरोक्त तथ्य का उल्लेख था । उपरोक्त को देखते हुए, धारा 42(2) का अनुपालन नहीं किया गया था । (ii) धारा 42 की उपधारा (1) के परंतुक में यह उपबंधित है कि यदि ऐसे अधिकारी के पास विश्वास करने के कारण हैं तो वह तलाशी विश्वास के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् ले सकेगा, जबकि वर्तमान मामले में उक्त परंतुक द्वारा यथा परिकल्पित विश्वास का कोई आधार लेखबद्ध नहीं किया गया था और तलाशी सूर्यास्त के पश्चात् ली गई थी जिससे धारा 42(2) के परंतुक के उपबंधों का अतिक्रमण हुआ है । (iii) जीप, जो वीरा राम की निजी जीप थी, उसे लोक परिवहन यान के रूप में नहीं माना जा सकता है । अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं लाया गया कि उसके पास लोक परिवहन यान के लिए कोई परमिट था । इसलिए अधिनियम की धारा 43 लागू नहीं होती थी । (iv) इसके अतिरिक्त, गुप्त इत्तिला भेदिए से प्राप्त हुई थी और वह लेखबद्ध की गई थी और उसके पश्चात् तलाशी ली गई थी । वर्तमान मामला लोक स्थल पर अचानक ली गई तलाशी का नहीं था । (v) सामग्री के नमूने की मुहरबंदी समुचित नहीं थी । (vi) स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन के पक्षकथन का कतई समर्थन नहीं किया है । उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर राजस्थान राज्य ने अभियुक्त जगराज सिंह की दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 42(2) के अधीन यह अपेक्षित है कि जहां कोई अधिकारी, किसी इत्तिला को उपधारा (1) के अधीन लिखता है, वहां वह उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित पदीय वरिष्ठ को तत्काल भेजेगा । इत्तिला, प्रदर्श पी-15, जो सर्किल आफिसर, नोहर को भेजी गई थी, वह प्रदर्श पी-14 और प्रदर्श पी-24 में लेखबद्ध इत्तिला के अनुसार नहीं थी । अतः, उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई गलती नहीं की है कि धारा 42(2) का भंग हुआ था । एक अन्य पहलू जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, वह धारा 42(1) के परंतुक के अननुपालन के बारे में है जो उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया है । धारा 42(1) से यह उपदर्शित होता है कि कोई प्राधिकृत अधिकारी वारंट या प्राधिकार के बिना सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच तलाशी ले सकता है । स्कीम से यह उपदर्शित होता है कि यदि

तलाशी सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच ली जानी है, तो वारंट की आवश्यकता होगी, जब तक कि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि तलाशी वारंट या प्राधिकार अपराधी को निकल भागने के लिए अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है और उसके विश्वास के आधारों को लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है । वर्तमान मामले में, ऐसा कोई पक्षकथन नहीं है कि धारा 42 की उपधारा (1) के परंतुक या धारा 42 की उपधारा (2) द्वारा यथापरिकल्पित विश्वास का कोई आधार थाना अधिकारी, जो तलाशी लेने के लिए अग्रसर हुआ था, द्वारा लेखबद्ध किया गया था । थाना अधिकारी अभि. सा. 11 के रूप में उपसंजात हुए और अपने कथन में भी ऐसा कोई पक्षकथन नहीं रखा कि उपधारा (1) के परंतुक द्वारा अपेक्षित अनुसार उसने कहीं अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध किया था । विशेष न्यायाधीश ने धारा 42(1) के परंतुक के अनुपालन के बारे में यह अभिनिर्धारित किया कि तलाशी लिया गया यान यात्रियों को ढोने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा था और इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से यान के स्वामी वीरा राम द्वारा किया गया है, इसलिए अधिनियम की धारा 43 के स्पष्टीकरण के अनुसार यान एक लोक परिवहन यान था और ऐसे यान की तलाशी लेने के लिए किसी वारंट या प्राधिकार की आवश्यकता नहीं थी । उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश के उपरोक्त निष्कर्षों को उलट दिया । अतः, यह न्यायालय इस बात की परीक्षा करेगा कि क्या वर्तमान मामले में धारा 43 लागू होती है जिसमें धारा 42(1) के परंतुक की अपेक्षा को दूर किया गया है । धारा 43 में "लोक स्थान" पद को परिभाषित किया गया है जिसमें कोई लोक प्रवहण भी सम्मिलित है । अधिनियम में यथा प्रयुक्त "लोक प्रवहण" शब्द को एक ऐसे प्रवहण के रूप में समझा जाना चाहिए जिसे जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है । मोटर यान अधिनियम, 1939 और उसके पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 मोटर यानों से संबंधित विधि को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किए गए थे । जो यान जनता के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं वे लोक मोटर यान हैं जिनके लिए आवश्यक परमिट अभिप्राप्त किया जाना आवश्यक है । मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुसार, परमिट अभिप्राप्त किए बिना कोई यान यात्रियों को ढोने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है । वर्तमान मामले में, अभियोजन का यह पक्षकथन नहीं है कि जीप एच आर 24 4057 के पास यात्रियों को ढोने के लिए कोई परमिट था । उच्च न्यायालय ने साक्ष्य पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह उपदर्शित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि जीप

को लोक परिवहन यान के रूप में चलाने के लिए कोई परमिट था । उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि यहां तक कि करतारा राम ने भी, जो यान के स्वामी वीरा राम के अनुसार यान का उपयोग कर रहा था, इस बात का समर्थन नहीं किया कि जीप एक लोक परिवहन यान के रूप में प्रयुक्त किया जाता था । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि निजी जीप को लोक परिवहन यान के रूप में नहीं माना जा सकता है । उपर्युक्त निष्कर्षों को अधिक्षिप्त करने के लिए कुछ नहीं है । हमने वीरा राम के कथन का भी परिशीलन किया है, जिस कथन में उसने कहीं भी यह नहीं कहा कि उसके पास यान को परिवहन यान के रूप में चलाने के लिए परमिट है । उसने यह कथन किया है कि "....मैंने यह जीप करतारा राम, निवासी....जो मेरा नातेदार है को यात्रियों को ढोने के लिए दी हुई थी" । स्वीकृत रूप से, जीप पुलिस द्वारा पकड़ी और अभिगृहीत की गई थी । उपरोक्त को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि जीप धारा 43 के स्पष्टीकरण के अर्थांतर्गत एक लोक प्रवहण था । इसलिए, स्पष्ट रूप से धारा 43 लागू नहीं होती है और धारा 42(1) के परंतुक के उपबंधों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित था और पूर्वोक्त कानूनी आज्ञापक उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि अपास्त करके कोई गलती नहीं की है । (पैरा 13, 14, 15, 16 और 17)

एक और पहलू है जिसका उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है । प्रस्तुत मामला ऐसा है जहां स्वयं अभियोजन पक्ष का यह पक्षकथन है कि गुप्त इत्तिला भेदिए से प्राप्त हुई थी और उस इत्तिला को प्रदर्श पी-14 और प्रदर्श पी-21 रोजनामचे में लेखबद्ध किया गया था और उसके पश्चात् थाना अधिकारी ने यकायक एक लोक स्थान पर तलाशी ली । थाना अधिकारी ने अपने कथन में भी धारा 42 की अनुपालना को साबित करने के लिए तथ्यों और अपने पक्षकथन का उल्लेख किया । जब धारा 42(1) के अधीन इत्तिला लेखबद्ध करने के पश्चात् तलाशी ली जाती है, तो धारा 42 के उपबंधों को अनुपालन किया जाना आवश्यक है । जहां तक धारा 42(1) के परंतुक के अनुपालन का संबंध है, प्रस्तुत मामला ऐसा नहीं है जहां दलील दी गई हो कि सारभूत अनुपालन किया गया था, बल्कि धारा 42(1) का पूरी तरह से अननुपालन किया गया है । जैसा कि ऊपर मत व्यक्त किया गया है, धारा 43 लागू नहीं होने के कारण तलाशी धारा 42 के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात् की जानी चाहिए थी । अतः, इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया है

कि धारा 42(1) और धारा 42(2) के अननुपालन की बात अभिलेख से साबित होती है और उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के आदेश को अपास्त करके कोई गलती नहीं की है । (पैरा 25)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2009]	(2009) 8 एस. सी. सी. 539 : **करनैल सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	24
[2008]	(2008) 2 एस. सी. सी. 370 : **राजस्व निदेशालय और एक अन्य** बनाम **मोहम्मद निसार होलिया** ;	18
[2002]	(2002) 4 एस. सी. सी. 229 : **बेकोदन अब्दुल रहीमन** बनाम **केरल राज्य** ;	23
[1999]	(1999) 6 एस. सी. सी. 172 : **पंजाब राज्य** बनाम **बलदेव सिंह** ;	22, 23
[1996]	(1996) 2 एस. सी. सी. 37 : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **पृथी चंद और एक अन्य** ;	22
[1995]	(1995) 3 एस. सी. सी. 610 : **सैय्यद मोहम्मद सैय्यद उमर सैय्यद और अन्य** बनाम **गुजरात राज्य** ;	10, 21, 22
[1994]	(1994) 3 एस. सी. सी. 299 : **पंजाब राज्य** बनाम **बलबीर सिंह** ।	9, 19, 21, 22

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2006 की दांडिक अपील सं. 1233.

2001 की एकल न्यायपीठ दांडिक अपील सं. 98 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के तारीख 24 नवम्बर, 2003 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री विवेक रंजन मोहंती, पुनीत परिहार और मिलिंद कुमार

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री सौमेन टी., आर. डी. राठोर और डा. कैलाश चंद

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने दिया ।

न्या. भूषण – यह अपील राजस्थान राज्य द्वारा 2001 की एकल न्यायपीठ दांडिक अपील सं. 98 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के तारीख 24 नवम्बर, 2003 के उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा विशेष न्यायाधीश (स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ मामले), हनुमानगढ़, राजस्थान के तारीख 31 मई, 2000 के उस निर्णय को, जिसके द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को 12 वर्ष का कठोर कारावास भोगने के साथ-साथ प्रत्येक को 1,20,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया था, अपास्त करने के पश्चात् अभियुक्तों को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/15 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया । जुर्माना जमा न करने की दशा में प्रत्येक अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना था । अभियुक्त किशन लाल ने 2000 की एकल न्यायपीठ दांडिक अपील सं. 2000 और अभियुक्त जगराज सिंह **उर्फ** हंसा ने 2001 की एकल न्यायपीठ दांडिक अपील सं. 397 फाइल की थी । उच्च न्यायालय द्वारा दोनों अपीलें मंजूर किए जाने पर राजस्थान राज्य द्वारा जगराज सिंह **उर्फ** हंसा की दोषमुक्ति के विरुद्ध यह 2006 की दांडिक अपील सं. 1233 फाइल की गई है । इस न्यायालय द्वारा 2006 की दांडिक अपील सं. 1232 पहले ही खारिज की जा चुकी है ।

2. अभियोजन पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है – शिशुपाल सिंह, थाना अधिकारी, भद्रा को तारीख 9 अगस्त, 1998 को अपराह्न में 8.00 बजे एक गुप्त इत्तिला प्राप्त हुई कि एक नीली जीप सं. एच आर 24 4057 आएगी और सिरसा होते हुए हरियाणा से गुजरेगी । उपरोक्त इत्तिला के संबंध में एक मेमो बनाया गया जिसकी रोजनामचा में प्रविष्टि भी की गई और उसी दिन अपराह्न में 8.05 बजे एक कांस्टेबल के माध्यम से यह इत्तिला सर्किल आफिसर को भी भेजी गई । थाना अधिकारी कतिपय अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ दो स्वतंत्र साक्षियों अर्थात् हवा सिंह और करम सिंह को लेकर रवाना हुआ । अपराह्न में 10.15 बजे जीप एच आर 24 4057 सहाबा से आती हुई दिखाई दी । यह उल्लेख किया गया कि उसमें एक ड्राइवर और दो अन्य व्यक्ति बैठे हुए थे जिन्होंने अपना नाम जगराज

सिंह और किशन लाल बताया । जीप में थैले पड़े हुए थे । थाना अधिकारी ने जगराज और कृष्ण लाल को नोटिस दिया और उसके पश्चात् तलाशी ली गई । जीप से अफीम पाउडर भरे हुए नौ थैले बरामद किए गए, जिनके लिए अभियुक्तों के पास कोई लाइसेंस नहीं था । अफीम पाउडर का वजन किया गया और प्रत्येक थैले से 200-200 ग्राम के दो-दो नमूने लिए गए । घटनास्थल पर अभिग्रहण मेमो बनाया गया । दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । सामग्री मुहरबंद की गई और पुलिस थाने पहुंचने के पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्यांक 291/98 रजिस्ट्रीकृत की गई । नमूने न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर भेजे गए और सकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 8/15 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया । अभियोजन पक्ष ने 12 साक्षी पेश किए जिनमें थाना अधिकारी, शिशुपाल सिंह अभि. सा. 11 के रूप में सम्मिलित था । दो स्वतंत्र साक्षियों अभि. सा. 2 हवा सिंह और अभि. सा. 3 करम सिंह को पक्षद्रोही घोषित किया गया । अभियोजन पक्ष ने दस्तावेज प्रदर्श पी-1 से पी-40 भी प्रस्तुत किए । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के कथन अभिलिखित किए गए । श्री राम मीणा, तत्कालीन सर्किल आफिसर, नोहर की प्रतिरक्षा साक्षी-1 के रूप में परीक्षा की गई ।

3. विद्वान् सेशन न्यायाधीश के समक्ष अभियुक्तों ने यह दलील दी कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(1) और 42(2) तथा धारा 50 के आज्ञापक उपबंधों का पालन नहीं किया गया है ; दोनों स्वतंत्र साक्षियों ने बरामदगी के स्थान का समर्थन नहीं किया है और संपूर्ण कार्रवाई पुलिस थाने में की गई थी ; घटना की शृंखला मौजूद नहीं है जिससे कि अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया जा सके । परीक्षण रिपोर्ट ग्राह्य और पढ़ने योग्य नहीं है । अभियुक्तों की दलीलों का विद्वान् विशेष लोक अभियोजक द्वारा खंडन किया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि थाना अधिकारी द्वारा प्राप्त इत्तिला को प्रदर्श पी-14 के रूप में अभिलिखित किया गया था और इसे प्रदर्श पी-15 द्वारा सर्किल आफिसर, नोहर को भेजा गया था । इसलिए थाना अधिकारी ने धारा 42(1) और 42(2) के उपबंधों का पूर्णतः अनुपालन किया था । सेशन न्यायाधीश ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि यान यात्रियों को परिवहन करने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा था, जैसा कि अभि. सा. 4 वीरा राम द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है, इसलिए यान स्वापक ओषधि और

मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 43 के स्पष्टीकरण के अनुसार लोक स्थल की परिधि के अंतर्गत आता था । अतः तलाशी लेने के लिए किसी वारंट या प्राधिकार की कोई आवश्यकता नहीं थी । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने यह भी पाया कि धारा 50 का अनुपालन किया गया था चूंकि तलाशी लेने से पूर्व दोनों अभियुक्तों को नोटिस जारी किए गए थे । सेशन न्यायाधीश ने यह उल्लेख किया कि यद्यपि दोनों स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं किंतु अभियोजन पक्ष की ओर से पुलिस अधिकारियों और पदधारियों की परीक्षा कराई गई है जिनसे दुश्मनी का तथ्य साबित नहीं हुआ है । घटना की शृंखला पूर्ण है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने पूर्वोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया ।

4. उच्च न्यायालय द्वारा किशन लाल और जगराज सिंह द्वारा फाइल की गई दोनों दांडिक अपीलों का तारीख 24 नवम्बर, 2003 के सामान्य निर्णय द्वारा विनिश्चय किया गया । उच्च न्यायालय ने अपीलों को मंजूर करते हुए निम्नलिखित कारण और निष्कर्ष दिए :–

(i) गुप्त इत्तिला जो प्रदर्श पी-14 के रूप में और प्रदर्श पी-21 रोजनामचा में अभिलिखित की गई थी, उसमें यह उल्लिखित नहीं था कि "दो व्यक्ति झुंझुन से आएंगे जो अफीम पाउडर लिए हुए हैं", जबकि सर्किल आफिसर, नोहर को भेजी गई इत्तिला, प्रदर्श पी-15, जो सर्किल आफिसर, नोहर को प्राप्त हुई थी, में उपरोक्त तथ्य का उल्लेख था जो कि प्रदर्श पी-14 और पी-21 में गायब था । उपरोक्त को देखते हुए, धारा 42(2) का अनुपालन नहीं किया गया था ।

(ii) धारा 42 की उपधारा (1) के परंतुक में यह उपबंधित है कि यदि ऐसे अधिकारी के पास विश्वास करने के कारण हैं तो वह तलाशी विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात् ले सकेगा, जबकि वर्तमान मामले में परंतुक द्वारा यथापरिकल्पित विश्वास का कोई आधार लेखबद्ध नहीं किया गया था और तलाशी सूर्यास्त के पश्चात् ली गई थी जिससे धारा 42(2) के परंतुक के उपबंधों का अतिक्रमण हुआ है ।

(iii) जीप, जो वीरा राम की निजी जीप थी, उसे लोक परिवहन यान के रूप में नहीं माना जा सकता है । अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं लाया गया कि लोक परिवहन यान के लिए कोई परमिट था । वीरा राम के साले अर्थात् करतारा राम ने इस पक्षकथन का समर्थन

नहीं किया कि यान एक लोक परिवहन यान था । अधिनियम की धारा 43 लागू नहीं होती थी, इसलिए निचले न्यायालय का यह मत कि धारा 42 का अनुपालन आवश्यक नहीं था, गलत है ।

(iv) इसके अतिरिक्त, गुप्त इत्तिला भेदिए से प्राप्त हुई थी और वह लेखबद्ध की गई थी और उसके पश्चात् तलाशी ली गई थी । वर्तमान मामला लोक स्थल पर अचानक ली गई तलाशी का नहीं था ।

(v) सामग्री के नमूने की मुहरबंदी समुचित नहीं थी और न ही नमूना मुहर स्टाक-घर में जमा की गई थी । मुहर, जिसके द्वारा सामग्री मुहरबंद की गई थी, कहीं सुरक्षित नहीं रखी गई थी और वह उस अधिकारी के कब्जे में रही जिसने तलाशी ली थी ।

(vi) स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन के पक्षकथन का कतई समर्थन नहीं किया है ।

5. राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर इस अपील में आया है । अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि धारा 42(1) और 42(2) के उपबंधों का अनुपालन किया गया था और इसके अतिरिक्त यान का उपयोग यात्रियों को ढोने के लिए किए जाने, जैसा कि यान के स्वामी वीरा राम, अभि. सा. 4 के कथन में आया है, और धारा 43 के फलस्वरूप तलाशी लोक स्थल पर लिए जाने के कारण धारा 42 के अनुपालन की कोई आवश्यकता नहीं थी । यह भी दलील दी गई है कि प्रदर्श पी-14 और प्रदर्श पी-15 में छुट-पुट फर्क अनवधानता के कारण हुई गलती थी, जिसकी वजह से यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 42(1) के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया था । यह दलील दी गई कि थाना अधिकारी और दल में सम्मिलित अन्य पुलिस कार्मिकों की परीक्षा की गई थी और उन्होंने बरामदगी तथा घटनाओं की शृंखला को साबित किया है । उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त करके गलती की है जबकि विशेष न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि के आदेश का समर्थन करने के लिए पर्याप्त आधार और सामग्री थी ।

6. अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया और यह दलील दी कि धारा 42(1) और 42(2) के उपबंधों के अनुपालन को इस न्यायालय द्वारा आज्ञापक अभिनिर्धारित किया गया है और उक्त उपबंधों के अननुपालन के कारण

उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को ठीक ही अपास्त किया गया है । यह दलील दी गई कि अधिनियम की धारा 43 लागू नहीं होती है चूंकि तलाशी भेदिए से मिली इत्तिला को लेखबद्ध करने के पश्चात् ली गई थी और थाना अधिकारी ने अपने कथन में स्वयं धारा 42 के अनुपालन को साबित करने वाले तथ्यों का उल्लेख किया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 42 का अनुपालन अपेक्षित नहीं था, इतना ही नहीं जीप वीरा राम की निजी जीप थी और उच्च न्यायालय ने ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया है कि यह साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि जीप एक लोक परिवहन यान था । यान को एक लोक परिवहन यान के रूप में चलाने के लिए परिवहन प्राधिकारी से लिया गया कोई परमिट फाइल नहीं किया गया था या इस बारे में अभिवाक् तक नहीं किया गया था ।

7. हमने पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों की दलीलों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया ।

8. इस अपील में इस विवाद्यक पर विचार किए जाने की आवश्यकता है कि क्या उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त करके गलती की है । क्या धारा 42(1) और 42(2) के अननुपालन के संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है और क्या धारा 43 वर्तमान मामले में लागू होती है, ऐसे अन्य विवाद्यक हैं जिनका उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है । क्या बरामदगी, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किया गया है, का समर्थन अभिलेख पर के साक्ष्य से होता है और क्या सामग्री और नमूने समुचित रूप से मुहरबंद किए गए थे, अन्य संबद्ध विवाद्यक हैं ।

9. स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम स्वापक ओषधियों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए, स्वापक ओषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं के नियंत्रण और विनियमन के लिए अधिनियमित किया गया था । इस न्यायालय ने अनेक मामलों में स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों पर विचार किया है । इस न्यायालय ने यह पाया कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम का उद्देश्य इन ओषधियों और पदार्थों के नियंत्रण और विनियमन के संबंध में कठोर उपबंध बनाना है । साथ-ही-साथ निर्दोष व्यक्तियों को अपहानि से बचाने और अधिकारियों द्वारा उपबंधों का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए कतिपय रक्षोपाय उपबंधित किए गए हैं

जिनका इस संदर्भ में कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है । **पंजाब राज्य** बनाम **बलबीर सिंह**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने पैरा 15 में निम्नलिखित मताभिव्यक्तियां की हैं :–

> "15. स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम का उद्देश्य इन ओषधियों और पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं के नियंत्रण और विनियमन के लिए कठोर उपबंध बनाना है । साथ-ही-साथ, निर्दोष व्यक्तियों को अपहानि से बचाने और अधिकारियों द्वारा उपबंधों का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए कतिपय रक्षोपाय उपबंधित किए गए हैं जिनका इस संदर्भ में कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है । इसलिए इन उपबंधों में यह आबद्धकर बनाया गया है कि उन अधिकारियों को, जिनका इन उपबंधों में उल्लेख है, जानकारी प्राप्त होने पर उसे लेखबद्ध करना चाहिए और धारा 42(1) के परंतुक के अधीन उपबंधित अनुसार गिरफ्तारी करने या तलाशी लेते समय विश्वास के कारणों को भी लेखबद्ध करना चाहिए । इस सीमा तक ये उपबंध आज्ञापक हैं । परिणामतः, इन अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहने पर अभियोजन पक्षकथन पर प्रभाव पड़ता है और इसलिए विचारण दूषित हो जाता है ।"

10. **सैय्यद मोहम्मद सैय्यद उमर सैय्यद और अन्य** बनाम **गुजरात राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा इसी प्रकार की मताभिव्यक्तियां की गईं हैं । उक्त निर्णय के पैरा 6 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है :–

> "6. यह उल्लेखनीय है कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन इसके उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड ऐसे कठोर कारावास तक हो सकता है जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 20 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, और न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित करने के लिए सशक्त है । स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 54 में अपनी निर्दोषिता को साबित करने का भार अभियुक्त पर स्थानांतरित किया गया है ; इस धारा में यह उपबंधित

---

[1] (1994) 3 एस. सी. सी. 299.

[2] (1995) 3 एस. सी. सी. 610.

है कि इस अधिनियम के अधीन विचारणों में, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, यह उपधारणा की जा सकेगी कि अभियुक्त ने इसके अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की बाबत, 'जिसके कब्जे के बारे में वह समाधानप्रद रूप से हिसाब देने में असफल रहता है' इसके अधीन अपराध किया है । उन परिणामों को, जो स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन आने वाली अवैध वस्तुओं को कब्जे में रखने से हो सकेंगे, अर्थात् साबित करने का भार अभियुक्त पर स्थानांतरित होने और कठोर दंड जिसके लिए वह दायी हो सकता है, ध्यान में रखते हुए विधान-मंडल ने धारा 50 में अंतर्विष्ट रक्षोपाय अधिनियमित किए हैं । अभियुक्त द्वारा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन आने वाली अवैध वस्तुओं को कब्जे में रखे जाने के बारे में किसी संदेह को दूर करने के लिए वह ऐसे कब्जे की तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किए जाने की अपेक्षा करने के लिए प्राधिकृत है ।"

11. वर्तमान मामले में धारा 42 सुसंगत है, जिसे नीचे उद्धृत किया जाता है :–

"42. वारंट या प्राधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति – (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, स्वापक, सीमाशुल्क, राजस्व आसूचना या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का या सीमा सुरक्षा बल का ऐसा कोई अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है) जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त सशक्त किया जाता है, अथवा किसी राज्य सरकार के राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद-शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का ऐसा कोई अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है), जिसे राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाता है, यदि उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखी गई इत्तिला से यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ जिसकी बाबत अध्याय 4 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है, किसी भवन, प्रवहण या परिवेष्ठित स्थान में रखी या छिपाई गई है, सूर्योदय

और सूर्यास्त के बीच –

(क) किसी ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान में प्रवेश कर सकेगा ;

(ख) प्रतिरोध की दशा में, किसी द्वार को तोड़ सकेगा और ऐसे प्रवेश करने में किसी अन्य बाधा को हटा सकेगा ;

(ग) ऐसी ओषधि या पदार्थ और उसके विनिर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्री और किसी अन्य वस्तु और किसी जीव-जन्तु या प्रवहण को, जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है और किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि यह अध्याय 4 के अधीन दंडनीय किसी ऐसे अपराध के, जो ऐसी ओषधि या पदार्थ से संबधित है, किए जाने का साक्ष्य हो सकती है, अभिगृहीत कर सकेगा ; और

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने ऐसी ओषधि या पदार्थ के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा और यदि वह उचित समझे तो उसे गिरफ्तार कर सकेगा :

परंतु यदि ऐसे व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी, वारंट या प्राधिकार साक्ष्य छिपाने के लिए अवसर दिए बिना या किसी अपराधी को निकल भागने के लिए सुविधा दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय ऐसे भवन, प्रवहण या परिवेष्ठित स्थान में, अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा ।

(2) जहां कोई अधिकारी, किसी इत्तिला को उपधारा (1) के अधीन लिखता है या अपने विश्वास के आधारों को उस उपधारा के परंतुक के अधीन लेखबद्ध करता है, वहां वह उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित पदीय वरिष्ठ को तत्काल भेजेगा ।"

12. उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धारा 42(1) और 42(2) के आज्ञापक उपबंधों का भंग हुआ है और इसके अतिरिक्त धारा 43, जिसका विशेष न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए अवलंब लिया है कि धारा 42 के अनुपालन की कोई आवश्यकता नहीं थी, लागू नहीं होती है । अतः, हम पहले इस प्रश्न की परीक्षा करने के लिए अग्रसर होंगे कि क्या धारा 42(1) और 42(2) के उपबंधों का भंग हुआ है या नहीं । धारा 42 का भंग दो भागों में पाया गया है । पहला भाग यह है कि प्रदर्श पी-14 और प्रदर्श पी-21 में लेखबद्ध गुप्त इत्तिला और सर्किल आफिसर, नोहर को प्रदर्श पी-15 द्वारा भेजी गई इत्तिला के बीच फर्क है । उपरोक्त संदर्भ में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को निर्दिष्ट करना उपयोगी होगा :–

> "उपरोक्त परीक्षा से यह नहीं पाया गया है कि प्रदर्श पी-14 इत्तिला, जो कथित रूप से अधिनियम की धारा 42(2) के अधीन भेदिए से प्राप्त हुई थी या प्रदर्श पी-21, भेदिए द्वारा दी गई इत्तिला जिसे कथित रूप से रोजनामचे में अभिलिखित किया गया था और जिसकी प्रति सर्किल आफिसर, नोहर को भेजी गई थी जो कि तत्कालीन ज्येष्ठ अधिकारी, राठोर थे, प्रदर्श पी-15 पत्र जो भेजा गया था, यह प्रदर्श पी-14 की प्रति नहीं है अपितु यह उनके द्वारा स्वयं तैयार किया गया अलग मेमो था । उपरोक्त परीक्षा से वर्तमान मामले में यह नहीं पाया गया है कि अधिनियम, 1985 की धारा 42(2) का अनुपालन किया गया है ।"

13. धारा 42(2) के अधीन यह अपेक्षित है कि जहां कोई अधिकारी, किसी इत्तिला को उपधारा (1) के अधीन लिखता है, वहां वह उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित पदीय वरिष्ठ को तत्काल भेजेगा । इत्तिला, प्रदर्श पी-15, जो सर्किल आफिसर, नोहर को भेजी गई थी, वह प्रदर्श पी-14 और प्रदर्श पी-24 में लेखबद्ध इत्तिला के अनुसार नहीं थी । अतः, उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई गलती नहीं की है कि धारा 42(2) का भंग हुआ था ।

14. एक अन्य पहलू जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, वह धारा 42(1) के परंतुक के अननुपालन के बारे में है जो उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया है । धारा 42(1) से यह उपदर्शित होता है कि कोई प्राधिकृत अधिकारी वारंट या प्राधिकार के बिना सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच तलाशी ले सकता है । स्कीम से यह उपदर्शित होता है कि यदि

तलाशी सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच ली जानी है, तो वारंट की आवश्यकता होगी, जब तक कि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि तलाशी वारंट या प्राधिकार अपराधी को निकल भागने के लिए अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है और उसके विश्वास के आधारों को लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है । वर्तमान मामले में, ऐसा कोई पक्षकथन नहीं है कि धारा 42 की उपधारा (1) के परंतुक या धारा 42 की उपधारा (2) द्वारा यथापरिकल्पित विश्वास का कोई आधार थाना अधिकारी, जो तलाशी लेने के लिए अग्रसर हुआ था, द्वारा लेखबद्ध किया गया था । थाना अधिकारी अभि. सा. 11 के रूप में उपसंजात हुए और अपने कथन में भी ऐसा कोई पक्षकथन नहीं रखा कि उपधारा (1) के परंतुक द्वारा अपेक्षित अनुसार उसने कहीं अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध किया था । उच्च न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित मताभिव्यक्तियां की हैं :–

> "शिशुपाल सिंह (अभि. सा. 11), जिसके द्वारा तलाशी ली गई थी, ने घटना स्थल पर पहुंचने के पश्चात् धारा 42(1) के अधीन जीप संख्यांक एच आर 24 4057 की तलाशी लेने से पूर्व उसके द्वारा विश्वास करने का कोई कारण लेखबद्ध नहीं किया गया और न ही तलाशी वारंट अभिप्राप्त न करने के संबंध में कोई कारण लेखबद्ध किया गया । उसने अपने कथनों में भी किसी ऐसे तथ्य का उल्लेख नहीं किया कि उसने धारा 42(1) के परंतुक के अनुपालन के संबंध में कोई कार्यवाही की थी । चूंकि विश्वास करने के कारणों को लेखबद्ध नहीं किया गया है, इसलिए अभिलेख पर यह नहीं पाया गया है कि धारा 42(2) के अधीन इसकी प्रति ज्येष्ठ पदधारियों को भेजी गई थी । शिशुपाल सिंह इस बाबत सर्वोत्तम साक्षी था और उसने अपने कथन में धारा 42(1) के परंतुक के अनुपालन और धारा 42(2), अपने वरिष्ठ पदधारियों को उसके द्वारा लेखबद्ध किए गए विश्वास के कारणों को भेजने के संबंध में किसी तथ्य का उल्लेख नहीं किया ।"

15. इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना सुसंगत है कि प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से विशेष न्यायाधीश के समक्ष भी धारा 42(1) और 42(2) के भंग की दलील दी गई थी । निर्णय के पैरा 12 में विशेष न्यायाधीश ने प्रतिरक्षा पक्ष के उपरोक्त दलीलों का उल्लेख किया है । तथापि, धारा 42(2) के

अननुपालन पर आधारित दलीलों को यह मत व्यक्त करते हुए खारिज कर दिया गया कि प्रदर्श पी-14 और प्रदर्श पी-15 में फर्क पूर्णतः लेखन भूल है और धारा 42(2) का अनुपालन किया गया था । विशेष न्यायाधीश ने धारा 42(1) के परंतुक के अनुपालन के बारे में यह अभिनिर्धारित किया कि तलाशी लिया गया यान यात्रियों को ढोने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा था और इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से यान के स्वामी वीरा राम द्वारा किया गया है, इसलिए अधिनियम की धारा 43 के स्पष्टीकरण के अनुसार यान एक लोक परिवहन यान था और ऐसे यान की तलाशी लेने के लिए किसी वारंट या प्राधिकार की आवश्यकता नहीं थी । उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश के उपरोक्त निष्कर्षों को उलट दिया । अतः, हम इस बात की परीक्षा करेंगे कि क्या वर्तमान मामले में धारा 43 लागू होती है जिसमें धारा 42(1) के परंतुक की अपेक्षा को दूर किया गया है । अधिनियम की धारा 43 निम्नलिखित है :–

> "43. लोक स्थानों में अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति – धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग का कोई अधिकारी –
>
> (क) किसी लोक स्थान में या अभिवहन में, किसी ऐसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है और ऐसी ओषधि या पदार्थ के साथ किसी ऐसे जीवजंतु या प्रवहण या वस्तु को, जो इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है और किसी ऐसे दस्तावेज या अन्य वस्तु को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसी ओषधि या पदार्थ के संबंध में, अध्याय 4 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकता है, अभिगृहीत कर सकेगा ;
>
> किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा यदि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में कोई स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ है और ऐसा कब्जा उसे विधिविरुद्ध प्रतीत होता है तो उसे और उसके साथ के किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा ।
>
> स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'लोक स्थान'

पद के अंतर्गत कोई ऐसा प्रवहन, होटल, दुकान या अन्य स्थान है जो जनता द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए आशयित है या जिस तक जनता की पहुंच हो सकती है ।"

16. धारा 43 में "लोक स्थान" पद को परिभाषित किया गया है जिसमें कोई लोक प्रवहण भी सम्मिलित है । अधिनियम में यथा प्रयुक्त "लोक प्रवहण" शब्द को एक ऐसे प्रवहण के रूप में समझा जाना चाहिए जिसे जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है । मोटर यान अधिनियम, 1939 और उसके पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 मोटर यानों से संबंधित विधि को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किए गए थे । जो यान जनता के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं वे लोक मोटर यान हैं जिनके लिए आवश्यक परमिट अभिप्राप्त किया जाना आवश्यक है । मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुसार, परमिट अभिप्राप्त किए बिना कोई यान यात्रियों को ढोने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है । वर्तमान मामले में, अभियोजन का यह पक्षकथन नहीं है कि जीप एच आर 24 4057 के पास यात्रियों को ढोने के लिए कोई परमिट था । उच्च न्यायालय ने साक्ष्य पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह उपदर्शित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि जीप को लोक परिवहन यान के रूप में चलाने के लिए कोई परमिट था । उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि यहां तक कि करतारा राम ने भी, जो यान के स्वामी वीरा राम के अनुसार यान का उपयोग कर रहा था, इस बात का समर्थन नहीं किया कि जीप एक लोक परिवहन यान के रूप में प्रयुक्त किया जाता था । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि निजी जीप को लोक परिवहन यान के रूप में नहीं माना जा सकता है । उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की गई :–

"करतारा राम को अभि. सा. 5 के रूप में पेश किया गया है, जिसने यह कथन किया कि वीरा राम उसका साला है जिसके नाम में जीप संख्यांक एच आर 24 4057 पंजीकृत है । उसने इंद्रजीत सिंह को उस जीप के लिए ड्राइवर के रूप में नियोजित किया है । कृष्ण नामक व्यक्ति को कभी ड्राइवर के रूप में नियोजित नहीं किया गया । इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया और उसकी परीक्षा भी की गई और उसने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया । इस रीति में, वीरा राम जीप का स्वामी है । उसके अनुसार,

उसने जीप करतारा राम को दी थी, किंतु करतारा राम ने अपने कथन में कहीं भी यह नहीं कहा कि यह जीप उसे दी गई थी और वह इसे लोक परिवहन यान के रूप में प्रयुक्त करता था । चूंकि अफीम पाउडर इस जीप में पकड़ा गया था और पुलिस द्वारा प्रदर्श पी-6 इत्तिला भी उसे तामील की गई थी, इसलिए वह स्वयं को बचाने की दृष्टि से भी ऐसा कथन कर सकता था कि करतारा जीप को लोक परिवहन यान के रूप में प्रयुक्त करता था, जबकि करतारा राम, अभि. सा. 5 ने इस तथ्य की अभिपुष्टि नहीं की । जीप निजी थी, यह बात अभिलेख से स्पष्ट होती है । इस रीति में, केवल इस आधार पर कि उसने जीप अपने साले को दी हुई थी और वह यात्रियों को ढोने के लिए इसका उपयोग करता था, निजी जीप को लोक परिवहन यान नहीं माना जा सकता है । तथापि, इस तथ्य की अभिपुष्टि करतारा राम के कथन से नहीं हुई है कि जीप का उपयोग यात्रियों को ढोने के लिए किया जाता है । अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जीप लोक परिवहन यान था और उनके पास इसके लिए परमिट था, बल्कि यह निजी यान था और यह कथन किया गया है कि स्वयं वीरा राम इस यान का स्वामी है ।"

17. उपर्युक्त निष्कर्षों को अधिक्षिप्त करने के लिए कुछ नहीं है । हमने वीरा राम के कथन का भी परिशीलन किया है, जिस कथन में उसने कहीं भी यह नहीं कहा कि उसके पास यान को परिवहन यान के रूप में चलाने के लिए परमिट है । उसने यह कथन किया है कि " ....मैंने यह जीप करतारा राम, निवासी ....जो मेरा नातेदार है को यात्रियों को ढोने के लिए दी हुई थी" । स्वीकृत रूप से, जीप पुलिस द्वारा पकड़ी और अभिगृहीत की गई थी । उपरोक्त को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि जीप धारा 43 के स्पष्टीकरण के अर्थांतर्गत एक लोक प्रवहण था । इसलिए, स्पष्ट रूप से धारा 43 लागू नहीं होती है और धारा 42(1) के परंतुक के उपबंधों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित था और पूर्वोक्त कानूनी आज्ञापक उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि अपास्त करके कोई गलती नहीं की है ।

18. एक और पहलू है जिसका उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है । प्रस्तुत मामला ऐसा है जहां स्वयं अभियोजन पक्ष का यह पक्षकथन है

कि गुप्त इत्तिला भेदिए से प्राप्त हुई थी और उस इत्तिला को प्रदर्श पी-14 और प्रदर्श पी-21 रोजनामचे में लेखबद्ध किया गया था और उसके पश्चात् थाना अधिकारी ने यकायक एक लोक स्थान पर तलाशी ली । थाना अधिकारी ने अपने कथन में भी धारा 42 की अनुपालना को साबित करने के लिए तथ्यों और अपने पक्षकथन का उल्लेख किया । जब धारा 42(1) के अधीन इत्तिला लेखबद्ध करने के पश्चात् तलाशी ली जाती है, तो धारा 42 के उपबंधों को अनुपालन किया जाना आवश्यक है । **राजस्व निदेशालय और एक अन्य** बनाम **मोहम्मद निसार होलिया**[1] वाले मामले में इस न्यायालय को धारा 41, 42 और 43 के स्पष्टीकरण पर विचार करना था । पैरा 14 में यह मत व्यक्त किया गया :–

> "हो सकता है अधिनियम के पठन मात्र से धारा 43 पर धारा 42 की बाध्यताएं लागू न हों । इसका यह अर्थ है कि प्राधिकारी के व्यक्तिपरक समाधान का भी, जैसा कि धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, केवल इस कारण अनुपालन किए जाने की आवश्यकता नहीं है कि वह स्थान जहां तलाशी ली जानी है वह एक लोक स्थान है । यदि धारा 43 को धारा 42 के अपवाद के रूप में समझा जाए, तो इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाना अपेक्षित है । ऐसे निर्वचन का आश्रय लिया जाना चाहिए जो विधि के प्रवर्तन और अभियुक्त के मूल्यवान मानव अधिकार के बीच सामंजस्य बैठाता हो । इस आशय की घोषणा कि न्यूनतम अपेक्षा अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 के अनुपालन से प्रयोजन की पूर्ति हो जाएगी, पर्याप्त नहीं हो सकेगी क्योंकि उक्त उपबंध के अननुपालन से तलाशी अकृत नहीं हो जाएगी । इसलिए इस विभेद को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी पूर्व इत्तिला के आधार पर ली गई तलाशी और ऐसे मामले में विभेद है जहां अधिनियम के अधीन अपराध कारित होने का कोई मामला प्राधिकारी के समक्ष अकस्मात या संयोगवश आता है ....."

19. अतः, प्रस्तुत मामला ऐसा नहीं है जहां यह कहा जा सकता हो कि धारा 43 लागू हुई है, इसलिए धारा 42(1) के परंतुक और धारा 42(2) के अननुपालन से अभियुक्त पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । इस न्यायालय ने अनेक मामलों में धारा 42(1) और 42(2) के उपबंधों के अननुपालन के इस परिणाम पर विचार किया है कि क्या उपरोक्त

---

[1] (2008) 2 एस. सी. सी. 370.

अननुपालन से संपूर्ण विचारण दूषित हो जाता है या दोषसिद्धि अपास्त की जा सकती है या नहीं । इस संदर्भ में **पंजाब राज्य** बनाम **बलबीर सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय के प्रतिनिर्देश किया जाता है । उपरोक्त मामलों में उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया था कि तलाशी स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं ली गई थी । इस न्यायालय के समक्ष धारा 41, 42, 43 और अन्य सुसंगत उपबंध विचार के लिए आए । अध्याय 4 के उपबंधों को निर्दिष्ट करते हुए पैरा 8 में यह मत व्यक्त किया गया :–

> "8. किंतु यदि किसी पूर्व इत्तिला के आधार पर यह युक्तियुक्त विश्वास हो जाता है कि अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन अपराध कारित किया गया है, तब ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट या सशक्त अधिकारी को धारा 41 और 42 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही और कृत्य करना होता है । धारा 42 के अधीन सशक्त अधिकारी को धारा 41 के अधीन यथाउपबंधित वारंट जारी किए बिना भी यदि उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई इत्तिला के आधार पर और इसे लेखबद्ध करने के पश्चात् यह विश्वास करने का कारण है कि अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध किया गया है या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो ऐसे अपराध के कारित करने का साक्ष्य हो सकता है, किसी भवन, या किसी अन्य स्थान में रखा गया है या छिपाया गया है, तो उसे सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ऐसे भवन या अन्य स्थान में प्रवेश करने, तलाशी लेने, अभिगृहीत करने और गिरफ्तार करने की शक्ति होगी । इस धारा के परंतुक के अधीन यह उपबंधित है कि यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारंट या प्राधिकार साक्ष्य छिपाने का अवसर दिए बिना या किसी अपराधी को निकल भागने के लिए सुविधा दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वह अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात् सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच गिरफ्तारी कर सकता है या तलाशी ले सकता है । धारा 42 की उपधारा (2) में यह भी अधिकथित है कि जब ऐसा अधिकारी कोई इत्तिला लिखता है या परंतुक के अधीन अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करता है, तो वह उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित पदीय वरिष्ठ को तत्काल भेजेगा ।"

20. इस न्यायालय ने अनेक मामलों को निर्दिष्ट करने के पश्चात् पैरा 25 में अपने निष्कर्ष अभिलिखित किए, जो निम्नलिखित हैं :–

"25. जिस प्रश्न पर ऊपर विचार किया गया है, वह विचारण न्यायालयों के समक्ष बहुधा उद्भूत होता रहता है । इसलिए हम अपने निष्कर्षों को उपवर्णित करना आवश्यक समझते हैं, जो निम्नलिखित हैं –

(1) यदि कोई पुलिस अधिकारी स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा परिकल्पित किसी पूर्व इत्तिला के बिना दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अधीन यथाउपबंधित अपराध या संदिग्ध अपराधों के अन्वेषण के सामान्य अनुक्रम में कोई तलाशी लेता है या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और जब ऐसी तलाशी पूर्ण हो जाती है तो इस प्रक्रम पर स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 लागू नहीं होगी और तद्धीन अपेक्षाओं का अनुपालन करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होगा । यदि ऐसी तलाशी या गिरफ्तारी के दौरान किसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ की संयोगवश बरामदगी होती है तब उस पुलिस अधिकारी को, जो सशक्त नहीं है, सशक्त अधिकारी को सूचित करना चाहिए जिसे उसके पश्चात् स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए । यदि वह सशक्त प्राधिकारी ही है, तब उसे उस प्रक्रम से आगे स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार अन्वेषण करना चाहिए ।

(2-क) धारा 41(1) के अधीन सशक्त मजिस्ट्रेट ही अधिनियम के अध्याय 4 आदि के अधीन दंडनीय अपराधों की बाबत गिरफ्तारी या तलाशी के लिए तब वारंट जारी कर सकता है जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे अपराध कारित किए गए हैं या ऐसे पदार्थ किसी भवन, प्रवहण या स्थान में रखे या छिपाए गए हैं । जब गिरफ्तारी या तलाशी के लिए ऐसा वारंट ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है जो सशक्त नहीं है, तब ऐसी तलाशी या गिरफ्तारी, यदि की जाती है, तो वह अवैध होगी । इसी प्रकार, धारा 41(2) और 42(1) में

यथा प्रगणित केवल सशक्त अधिकारी या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी ही स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ के उपबंधों के अधीन कार्रवाई कर सकते हैं । यदि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई गिरफ्तारी या तलाशी ऐसे अधिकारियों से भिन्न किसी अन्य द्वारा की जाती है तो वह गिरफ्तारी या तलाशी अवैध होगी ।

(2-ख) धारा 41(2) के अधीन केवल सशक्त अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को इस धारा में वर्णित अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या तलाशी लेने के लिए प्राधिकार दे सकता है । यदि कोई उल्लंघन होता है तो उससे अभियोजन पक्षकथन प्रभावित होगा और दोषसिद्धि दूषित हो जाएगी ।

(2-ग) धारा 42(1) के अधीन यदि सशक्त अधिकारी के पास किसी व्यक्ति द्वारा दी गई कोई पूर्व इत्तिला है, तो वह आवश्यक रूप से लेखबद्ध की जानी चाहिए । किंतु यदि व्यक्तिगत जानकारी से उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि अध्याय 4 के अधीन अपराध कारित किए गए हैं या किसी भवन आदि में ऐसी सामग्री छिपाई गई है जो ऐसे अपराधों के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है, तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा या तलाशी ले सकेगा और इस उपबंध में यह आज्ञापक नहीं है कि उसे अपने विश्वास के कारणों को लेखबद्ध करना चाहिए । किंतु धारा 42(1) के परंतुक के अधीन यदि ऐसे अधिकारी को सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच ऐसी तलाशी लेनी है तो उसे अपने विश्वास के आधारों को अवश्य अभिलिखित करना चाहिए ।

इस सीमा तक ये उपबंध आज्ञापक हैं और इनका उल्लंघन होने पर अभियोजन पक्षकथन पर प्रभाव पड़ेगा और विचारण दूषित हो जाएगा ।

(3) धारा 42(2) के अधीन ऐसे सशक्त अधिकारी को, जो किसी इत्तिला को लिखता है या धारा 42(1) के परंतुक के अधीन आधारों को लेखबद्ध करता है, उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित पदीय वरिष्ठ को तत्काल भेजनी चाहिए । यदि इस

उपबंध का पूरी तरह से अननुपालन हुआ है तो इससे अभियोजन का पक्षकथन प्रभावित होता है । इस सीमा तक यह आज्ञापक है । किंतु यदि इसमें विलंब हुआ है, चाहे यह असम्यक् था या चाहे इसका स्पष्टीकरण दिया गया है या नहीं, तो यह प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न होगा ।

(4-क) यदि कोई पुलिस अधिकारी, चाहे वह 'सशक्त' अधिकारी ही हो, विशुद्ध रूप से दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अधीन अपराधों के सामान्य अन्वेषण के दौरान कोई गिरफ्तारी करने या तलाशी लेते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 और 165 के उपबंधों का, जिसमें कारणों को लेखबद्ध करने की अपेक्षा भी सम्मिलित है, कड़ाई से अनुपालन करने में असफल रहता है तो ऐसी असफलता केवल अनियमितता की कोटि में आएगी ।

(4-ख) यदि कोई सशक्त अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 41(2) के अधीन कोई तलाशी लेता है, तो वह ऐसा दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 और 165 के अधीन कर रहा होता है और यदि दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया गया है, तब ऐसी तलाशी स्वतः अवैध नहीं होगी और विचारण दूषित नहीं हो जाएगा ।

ऐसी असफलता के प्रभाव को न्यायालयों द्वारा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

(5) पूर्व इत्तिला के आधार पर सशक्त अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को धारा 41(2) या 42 के अधीन कार्रवाई करते समय व्यक्ति की तलाशी लेने से पूर्व धारा 50 के उपबंधों का अनुपालन करना चाहिए और तद्धीन उपबंधित अनुसार ऐसे व्यक्ति को यह सूचित किया जाना चाहिए कि यदि वह अपेक्षा करता है तो उसे किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा । ऐसे अधिकारी के लिए तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को यह सूचित करना आबद्धकर है । तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को इस बारे में सूचित करने में असफल

रहना और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करता है, तो उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने में असफल रहना धारा 50 के अननुपालन की कोटि में आएगा, जो कि आज्ञापक उपबंध है और इस प्रकार इस असफलता से अभियोजन पक्षकथन पर प्रभाव पड़ेगा और विचारण दूषित हो जाएगा । इस प्रकार सूचित किए जाने के पश्चात् ऐसा व्यक्ति ऐसी प्रक्रिया के विकल्प का चयन करता है या नहीं, यह एक तथ्य का प्रश्न होगा ।

(6) धारा 52 और 57 के उपबंध, जो धारा 41 से 44 के अधीन गिरफ्तारी या अभिग्रहण करने के पश्चात् अधिकारियों द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों के संबंध में हैं, स्वतः आज्ञापक नहीं हैं । यदि इनका अननुपालन होता है या यदि विलंब आदि जैसी चूक होती हैं तब इसकी यह देखने के लिए परीक्षा की जानी चाहिए कि क्या अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या नहीं और ऐसी असफलता का गिरफ्तारी या अभिग्रहण से संबंधित साक्ष्य के मूल्यांकन तथा मामले के गुणागुण से सरोकार रहेगा ।"

21. **सैय्यद मोहम्मद सैय्यद उमर सैय्यद और अन्य** बनाम **गुजरात राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों पर धारा 50 सहित विस्तृत रूप से विचार करने के पश्चात् **बलबीर सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अनुमोदन किया ।

22. **पंजाब राज्य** बनाम **बलदेव सिंह**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की संविधान न्यायपीठ को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों और इस न्यायालय के कई पूर्ववर्ती निर्णयों पर विचार करना था । संविधान न्यायपीठ ने यह पाया कि **बलबीर सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में पूर्ववर्ती निर्णयों का **सैय्यद मोहम्मद सैय्यद उमर सैय्यद और अन्य** बनाम **गुजरात राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा अनुमोदन किया गया है और **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **पृथी चंद और एक अन्य**[2] वाले मामले में दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा

---

[1] (1999) 6 एस. सी. सी. 172.

[2] (1996) 2 एस. सी. सी. 37.

विसंगत टिप्पण को अपास्त कर दिया । संविधान न्यायाधीश ने **बलबीर सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के इस मत का अनुमोदन किया कि प्राधिकृत अधिकारी पर धारा 50 के अधीन संदिग्ध व्यक्ति को यह सूचित करने की बाध्यता है कि उसे राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने का अधिकार है । संविधान न्यायपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि तलाशी धारा 50 का अतिक्रमण करके ली गई है तो इससे विचारण तो दूषित नहीं हो सकेगा किंतु इससे अवैध वस्तुओं की बरामदगी संदिग्ध हो जाएगी और अभियुक्त की दोषसिद्धि और दंडादेश दूषित हो जाएगा । धारा 50 के अननुपालन के बारे में जो कुछ कहा गया है, वह अधिनियम की धारा 42 के अननुपालन की बाबत भी सत्य है ।

23. **बेकोदन अब्दुल रहीमन** बनाम **केरल राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय को धारा 42 और धारा 50 दोनों पर विचार करना था । उपरोक्त मामले में धारा 42(2) के साथ-साथ धारा 50 का भी अनुपालन नहीं किया गया था । यह भी अवेक्षा की गई कि **पंजाब राज्य** बनाम **बलदेव सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में एक संविधान न्यायपीठ ने पहले ही यह अधिकथित किया है कि धारा 42 और 50 के उपबंध आज्ञापक हैं और उनके अननुपालन से अन्वेषण अवैध हो जाएगा । पैरा 5 और 6 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया :–

> "5. इस मामले में आज्ञापक उपबंधों का अतिक्रमण एकदम स्पष्ट है, जैसा कि के. आर. प्रेमचंद्रन (अभि. सा. 1) के कथन से प्रत्यक्ष दिखाई देता है । इत्तिला लेखबद्ध करने के पश्चात् साक्षियों द्वारा अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) की आज्ञा का अनुपालन किया गया दर्शित नहीं होता है । इसी प्रकार धारा 50 के उपबंधों का भी अनुपालन नहीं किया गया क्योंकि अभियुक्त को ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया गया था कि क्या वह किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी देना चाहता है ।
>
> 6. हमारा यह दृढ़ मत है कि अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 42 की उपधारा (2) के उपबंधों और धारा 50 की आज्ञा का अनुपालन नहीं किया गया, जिससे मामला सिद्ध नहीं किया गया हो गया है । अधिनियम के आज्ञापक उपबंधों के अतिक्रमण को देखते हुए

---

[1] (2002) 4 एस. सी. सी. 229.

अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने का हकदार था .....।'

24. **करनैल सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की एक अन्य संविधान न्यायपीठ के निर्णय का उल्लेख करना भी सुसंगत है, जिसमें इस न्यायालय को पुनः धारा 42 और 50 के उपबंधों पर विचार करने का अवसर था । संविधान न्यायपीठ ने दो पूर्ववर्ती मामलों में राय की भिन्नता पाई जिसके परिणामस्वरूप मामला बृहत्तर न्यायपीठ के समक्ष रखा गया । प्रश्न का उल्लेख निर्णय के पैरा 1 और 2 में है, जो निम्नलिखित प्रकार से है :–

> "1. अब्दुल रशीद इब्राहिम मंसुरी **बनाम** गुजरात राज्य [(2000) 2 एस. सी. सी. 513] वाले मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसमें इसके पश्चात् 'एनडीपीएस अधिनियम' कहा गया है) की धारा 42 का अनुपालन आज्ञापक है और इत्तिला को लिखित में लेखबद्ध करने और अपने पदीय वरिष्ठ को तत्काल रिपोर्ट भेजने में असफलता से अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । साजन अब्राहम **बनाम** केरल राज्य [(2001) 6 एस. सी. सी. 692] वाले मामले में, जो कि तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा ही विनिश्चित किया गया था, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 42 आज्ञापक नहीं है और सारभूत अनुपालन पर्याप्त है ।
>
> 2. वारंट या प्राधिकार के बिना तलाशी लेने, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने के मामले में अधिनियम की धारा 42 की व्याप्ति और प्रयोज्यता के संबंध में विरोधी रायों को देखते हुए, ये अपीलें विवाद्यक को सुलझाने के लिए संविधान न्यायपीठ के समक्ष रखी जाती हैं ।
>
> 3. एनडीपीएस अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन से यह स्पष्ट होता है कि तस्करों की सुसंगठित टोलियों से मिलने वाली चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से भयोपरतकारी शास्तियों की स्कीम बनाने हेतु और स्वापक, सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आदि जैसे अनेक महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रवर्तन अभिकरणों के अधिकारियों को व्यसन की नई ओषधियों, जो मनःप्रभावी पदार्थों

[1] (2009) 8 एस. सी. सी. 539.

के रूप में जानी जाती हैं जो राष्ट्रीय सरकारों के सामने गंभीर समस्याएं पैदा कर रही हैं, पर नियंत्रण करने के लिए अपराधों के अन्वेषण की शक्ति देने के लिए संसद् द्वारा यह व्यापक विधि अधिनियमित की गई ।"

25. संविधान न्यायपीठ पूर्ववर्ती निर्णयों को निर्दिष्ट करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंची कि धारा 42 और 50 की अपेक्षा का अननुपालन अननुज्ञेय है जबकि समाधानप्रद स्पष्टीकरण के साथ विलंबित अनुपालन धारा 42 का स्वीकार्य अनुपालन होगा । संविधान न्यायपीठ ने उपरोक्त दोनों विनिश्चयों के प्रभाव का उल्लेख पैरा 5 में किया है । जहां तक धारा 42(1) के परंतुक के अनुपालन का संबंध है, प्रस्तुत मामला ऐसा नहीं है जहां दलील दी गई हो कि सारभूत अनुपालन किया गया था, बल्कि धारा 42(1) का पूरी तरह से अननुपालन किया गया है । जैसा कि ऊपर मत व्यक्त किया गया है, धारा 43 लागू नहीं होने के कारण तलाशी धारा 42 के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात् की जानी चाहिए थी । अतः, हमारा यह निष्कर्ष है कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 42(1) और धारा 42(2) के अननुपालन की बात अभिलेख से साबित होती है और उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के आदेश को अपास्त करके कोई गलती नहीं की है ।

26. जो कुछ ऊपर कहा गया है, उसको देखते हुए हमारे लिए उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आदेश को अपास्त करने के लिए दिए गए अन्य कारणों पर विचार करना आवश्यक नहीं है । उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के आदेश को अपास्त करने के लिए पर्याप्त कारण और आधार दिए हैं जिनमें हम कोई कमी नहीं पाते हैं जिससे कि इस अपील में हस्तक्षेप करना पड़े ।

27. परिणामतः यह अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.